राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवम् विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

बी–2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव भाग-II, (सावित्री क्रासिंग) नई दिल्ली–48

NATIONAL SAFAI KARAMCHARIS FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

B-2, Ist Floor, Greater Kailash Enclave Part-II, (Savitri Crossing) New Delhi - 110 048

Phone : 29221331, 29216330, Fax : 29222708

E-mail : nskfdc@indiatimes.com Website : http://nskfdc.nic.in

रासकविनि/परि./आर.टी.आई./2009/138 दिनांक : 14.05.2009

सेवा में,

श्री प्रभु दयाल शर्मा,

पुत्र श्री आर.पी.शर्मा,

पताः 78, डिफेंस कॉलोनी, एयरफोर्स गेट,

नैनीताल रोड, इज्जतनगर,

बरेली-243122 (उत्तर प्रदेश)

विषयः **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, धारा 6 के अन्तर्गत जानकारी प्रादान करने बाबत्**

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषय पर अपने पत्र दिनांक 30.12.2008 का संदर्भ लेने की कृपा करें जो इस निगम को संयुक्त सचिव (अपील अथोरिटि), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्रांक 56/जे.एस.(एस.सी.डी.)/आर.टी.आई./2009 दिनांक 08.05.2009 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंर्तगत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मिला है।

इस निगम से संबंधित आपके द्वारा माँगी गई जानकारी इस प्रकार से है: -

क्रं.	बिन्दु सं.	बिन्दु	जानकारी
1	1	आपके विभाग/संगठन का विवरण, कार्य तथा कर्तव्य बताये? संक्षिप्त रूप में बतायें?	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंर्तगत 24 जनवरी, 1997 को निगमित किया गया। निगम की कुल प्राधिकृत अंश पूँजी रू.300 करोड़ है। रासकविनि का लक्ष्य सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार व उनके आश्रितों को उनके पारम्परिक पेशे को छुडाकर, उनकी दबी हुई सामाजिक दशा को सुधारना और उन्हें गरीबी से उपर उठाना है ताकि वह इस समाज में सामाजिक व आर्थिक सीढी चढकर सम्मान और गर्व से जीवन यापन कर सकें।

			यह निगम लाभ अर्जित करने वाली किसी भी योजना में राशि रू.10.00 लाख तक के ऋण 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर राज्य माध्यम अभिकरणों के तहत तथा लक्षित समूह को प्रदान करता है। इस संबंध में हम निगम की ऋण नीति एवं मार्ग दर्शिका तथा निगम की विवरणिका की प्रति आपकी जानकारी एवं पूर्ण विवरण हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।
2	2	आपके मंत्रालय से कौन-कौन सी योजनाएँ जन सामान्य के लिए संचालित की जा रही हैं। उन सभी योजनाओं के विषय में विस्तृत विवरण व उनका लाभ लेने की प्रक्रिया, फार्म, प्रपत्र दें?	यह निगम आय अर्जित करने वाली किसी भी योजना में ऋण प्रदान करता है। इस निगम द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है: - 1) सामान्य ऋण योजना- रू.10.00 लाख तक 2) लघु ऋण योजना- रू.30,000 तक 3) महिला समृद्धि योजना- रू.30,000 तक 4) महिला अधिकारिता योजना- रू.50,000 तक क्योंकि योजनाएँ राज्य माध्यम अभिकरणों के तहत चलाई जा रही हैं अतः संबंधित फार्म इत्यादि राज्य माध्यम अभिकरणों/जिता प्रबन्धक के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
3	3	आपके मंत्रालय के निर्देशों से संचालित प्रत्येक अभिकरणों के कार्यों के लिए जारी बजट जो उनसे संबंधित है तथा जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित आय-व्यय/ भुगतान का विवरण है। उन्हें बतायें?	राज्य माध्यम अभिकरणों की सूची संलग्न है। रासकविनि को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए समझौता ज्ञापन के अंर्तगत राशि रू.82.00 करोड़ के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यवार नेशनल एलोकेशन संलग्न है।
4	4	आपके मंत्रालय द्वारा अनुदत्त छूटों, अधिकार पत्रों आदि की विस्तृत जानकारी दें?	यह निगम प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है। जागरूकता शिविरों के लिए रू. 15,000/-तक प्रति शिविर पुर्नभुगतान करता है।
5	5	योजनाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए आपके कार्यालय द्वारा प्रयोग किये जाने वाले निंत्रधीन , नियम, विनियम,निर्देशिक, आदेश, मैनुअल क्या हैं। योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए अपनाये गये माप-दंड क्या है। उनकी इलेक्ट्रानिक/कम्पयूटर सी.डी. में सूचनायें दें।	निगम द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी नियम निगम की ऋण नीति एवं मार्गदर्शिका में दिए गए हैं जिसकी प्रति संलग्न है। निगम इस मार्गदर्शिका के अनुसार ऋण प्रदान करता है।

6	6	बरेली जिले तथा उत्तर प्रदेश में सन 2007-08 में उन सभी संस्था के नाम,पता, प्रबन्धक का नाम बताये, जो आपके मंत्रालय से अनुदान प्राप्त किया है? उनके कार्य स्थल कहाँ-कहाँ हैं।	इस निगम द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अबतक राशि रू.46.42 करोड़ 9494 लाभार्थियों के लिए आवंटित की गई है। कृप्या जिला बरेली में प्रबन्धक के नाम, पता इत्यादि की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित राज्य माध्यम अभिकरण, बी-912, सेक्टर - सी, महानगर, लखनउ-226006 (दूरभाषः 0522-2322085, फैक्सः 0522-2334689) से संपर्क करने का कष्ट करें।
7	7	आपके मंत्रालय के योजनाओं से जुडने के लिए संस्थाओं को क्या-क्या कागज व प्रक्रिया पूर्व करनी पडती है। किसी एक संस्था का पूरा विवरण व कागज, दस्तावेज सहित नमुने/उदाहरण के तौर पर सत्यापित प्रतिलिपि दें?	रासकविनि की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निगम के लक्षित समूह जोकि सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार एवं उनके आश्रित हैं में से होना चाहिए। लाभ लेने वाला स्वच्छकार/सफाई कर्मचारी और उन पर आश्रित राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुर्नवास योजना/सर्वेक्षण/सफाई कर्मचारी सभा/कानूनी/ रजिर्स्टड सहकारी सभा वैधानिक संगठित संध, के अंर्तगत चिन्हित होना चाहिए लाभार्थी व्यक्ति सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी संस्था या लक्षित समूह द्वारा कानूनी रूप से गठित संस्था का सदस्य होना चाहिए। यदि लक्षित समूह का कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण के अर्न्तगत नहीं आ पाया है तो उसे स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निकाय अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी जिनका पद राजपत्रित्र अधिकारी से नीचे न हो से प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थी को ऋण लेने हेतु अपनी पसंद एवं योग्यता अनुसार किसी भी आय अर्जित करने वाली योजना का चुनाव करना होता है। इसके उपरांत निर्दिष्ट फारमेट में प्रार्थी को आवश्यक जानकारी भरकर राज्य माध्यम अभिकरण को देनी होती है। इसके बाद प्रार्थी के आवेदन की जॉच होती है एवं प्रार्थी के प्रस्ताव के पास होने पर उसे आवश्यक दस्तावेज या कागजी कार्यवाही पूरे करने के लिए कहा जाता है जिसके पूरे होने पर प्रार्थी को ऋण आवंटित कर दिया जाता है।
8	8	आपके विभाग के पास उपलब्ध तथा इसे उपलब्ध हो सकने वाले सूचनाओं का इलैक्ट्रानिक रूप में संस्करण हो तो दें?	सभी सूचनाओं हेतु आपको इस निगम द्वारा प्रकाशित ऋण नीति एवं मार्गदर्शिका, विवरणिका, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न, सफलता की कहानियॉं इत्यादि की प्रतियॉं भेजी जा रही हैं।

9	9	आपके मंत्रालय से संबंधित अन्य कितने कार्यालय हैं? केन्द्र/उ.प्र. राज्य स्तर के पता, सम्पर्क नं. दें।	यह निगम केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नामित एस.सी. डी.सी. के माध्यम से योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुँचाता है जिन्हें राज्य माध्यम अभिकरण कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में निगम के राज्य माध्यम अभिकरण का नाम व पता इस प्रकार से है: - **उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,** बी-912, सेक्टर - सी, महानगर, लखनउ-226006 (उत्तर प्रदेश) दूरभाष: 0522-2322085, **फैक्स: 0522-2334689**
10	10	आपके यहॉ योजनाओं का केन्द्र/उ,प्र, राज्य स्तर के निरीक्षण व सत्यापन कौन-कौन अधिकारी करते हैं उनके नाम, पद, पता, सम्पर्क न. दें?	इस निगम की उत्तर प्रदेश राज्य के लिए **उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम** राज्य माध्यम अभिकरण है। योजनाओं का निरीक्षण उनके अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इस निगम के अधिकारी भी समय-समय पर योजनाओं का निरीक्षण करते रहते हैं। इस निगम का पता व दूरभाष व पता बिन्दु क्रमांक 9 में दिया गया है।
11	11	आपके यहॉ जनसूचना अधिकारी व अपीली अधिकारी कौन है। उसका नाम, पद, पता कार्यालय पता, फोन व मोबाईल न. दें?	**जन सूचना अधिकारी:** श्री बी.एल. यादव, उप प्रबन्धक (परियोजना) **पता:** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, बी-2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव भाग-2, सावित्रि सिनेमा के पास, नई दिल्ली-110048 फोन कार्यालय: 011-29216330, 29221331 फैक्स: 011-29222708 **अपीलीय अधिकारी:** श्री पी.के. भंडारी, प्रबन्धक **पता:** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, बी-2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव भाग-2, सावित्रि सिनेमा के पास, नई दिल्ली-110048 फोन कार्यालय: 011-29216330, 29221331 फैक्स: 011-29222708

धन्यवाद।

भवदीय,

(बी. एल. यादव)
उप प्रबन्धक (परि)

संलग्नक: विवरणिका, ऋण नीति एवं मार्गदर्शिका, प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न, सफलता की कहानी।

प्रति: श्री पी.पी. मित्रा, संयुक्त सचिव (अपीलय अर्थारिटि), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

Harish/hindi/hindi_30_1